गोवा में 11-14 फरवरी, 2015 तक आयोजित पांचवें भारत क्षेत्र राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

गोवा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ अर्लेकर; राज्य विधानमण्डलों के माननीय अध्यक्ष और सभापति; राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति के माननीय सदस्य; माननीय मंत्रिगण; विशिष्ट अतिथिगण; देवियो और सज्जनो :

गोवा के इस खूबसूरत शहर में आयोजित पांचवें भारत क्षेत्र राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आपके बीच यहां उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में एक सम्मान और गर्व की बात है। मैं इस सम्मेलन की **उत्कृष्ट मेजबानी एवं आतिथ्य सत्कार के लिए** गोवा विधान सभा को धन्यवाद देती हूं। **सम्मेलन का विषय, अर्थात् ''संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण'' हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है** और मैं आशा करती हूं कि इस विषय पर हमारे बीच सार्थक चर्चाएं होंगी। मैं आज यहां उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सौ वर्षों से भी अधिक समय से अपनी प्रशंसनीय सेवाएं दे रहा है। संघ राष्ट्रमण्डल संसदों और सांसदों के बीच परस्पर समझ एवम् सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अथक परिश्रम करता रहा है। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की विभिन्न पहलों के फलस्वरूप राष्ट्रमण्डल के देश अपनी लोकतांत्रिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन में अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की वार्षिक बैठकें तथा इसके विभिन्न अन्य कार्यक्रम और कार्यकलाप राष्ट्रमण्डल सांसदों को पारस्परिक विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के कार्यक्रम सांसदों को

विश्व भर में हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करते हैं ताकि वे अपने विधानमण्डलों में होने वाले विकास संबंधी वाद-विवाद में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम हो सकें। अत्यन्त हर्ष की बात है कि राष्ट्रमण्डल देशों के लोगों के विकास में अपने प्रत्यक्ष योगदान के लिए राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की भूमिका को सभी ने स्वीकार किया है।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, जहां तक संसदीय लोकतंत्र का संबंध है, यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि हमारा लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का चयन किया था जिसमें भारत की संसद को सर्वोच्च प्रातिनिधिक निकाय बनाया गया। आज, 120 करोड़ लोगों की आबादी वाला भारत देश विश्व में सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है जहां समय-समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से बड़े व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराए **गए** हैं। चुनावों में बढ़ती जन भागीदारी, हमारे संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का ज्वलन्त प्रमाण है। भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्र, भाषा, **नस्ल,** जाति और धर्म की व्यापक विविधता का **नज़र आना** एक प्रमुख चुनौती है। फिर भी, हमने सर्वसम्मति **से** तथा प्रत्यक्ष रूप से परस्पर विरोधी विचारों और मांगों के बीच **तालमेल** स्थापित करके भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का समाधान निकालना सीख लिया है। साथ ही, हमारी संघीय राज्य व्यवस्था क्षेत्रीय और राज्य-आधारित दलों से और सशक्त हुई है।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के कारण ही इस देश के इक्कीसवी सदी में सफल होने तथा सदी के आखिरी तक विश्वगुरू बन जाने की आशाएं जगी हैं। इसके लिए सुशासन समय की मांग है। हमारे यहां त्रिस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था है और सुशासन से ही यह व्यवस्था हमें तर्कसंगत परिणाम देंगी। तीनों स्तरों यथा पंचायत, राज्य एवं केन्द्र पर शासन को ज्यादा निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और जिम्मेदार होना है जिसकी प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है ।

आज के वैश्वीकृत विश्व में लोगों की अपेक्षाएं निरन्तर बढ़ती **जा रही** हैं और उनका प्रतिनिधि होने के नाते हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम उनकी भावनाओं और उनके विचारों को **स्पष्ट** अभिव्यक्ति प्रदान करें। इसके अलावा हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि लाखों लोग अभी भी अत्यंत गरीबी और उपेक्षित दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी वास्तविक चुनौती अपने आर्थिक विकास को समावेशी बनाना है। **इसलिए** यह अत्यन्त **आवश्यक है कि हम सभी** लोगों और विशेष रूप से आम आदमी की खुशहाली के लिए **निरंतर प्रयास करते रहें** तथा इस दिशा में नए-नए लोकतांत्रिक प्रयोग करते रहें।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे विधानमंडल हमारे लोकतंत्र के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। ये लोगों की संप्रभु इच्छाओं के द्योतक एवं उनकी उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। इन संस्थाओं के सदन में ही लोगों की समस्याओं, चिन्ताओं और आशंकाओं को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारे विधानमंडलों का एक और मुख्य कार्य जनता की ओर से सरकार के कार्य, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकारी खजाने के प्रबन्धन और सरकारी राजस्व की उगाही तथा उसके व्यय पर

विधानमंडलों की निगरानी एवं उनका प्रभावी नियंत्रण निश्चित रूप से होना चाहिए। कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका द्वारा निरंतर निगरानी रखना संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण का मूल सिद्धांत है। सरकारी वित्त पर संसदीय नियंत्रण दो अवसरों पर हो सकता हैः- पहले, बजट पर विचार किए जाने और उसके अनुमोदन के समय और बाद में, विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय पर निगरानी रखकर ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उन खर्चों के अनुरूप है जिन्हें संसद की स्वीकृति प्राप्त है। विधानमंडलों की निगरानी **की** भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमें विधानमंडलों में एक सशक्त और सुदृढ़ समिति प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। समिति प्रणाली में सरकार के कार्यों की संवीक्षा ज्यादा नजदीक से करने के लिए विधायकों/सांसदों को अच्छा और प्रचुर अवसर प्राप्त होता है। भारत की संसद में 1993 में गठित विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के फलस्वरूप सरकार के समस्त क्रियाकलापों की जांच एवं संवीक्षा विस्तृत पैमाने पर हो पा रही है। इसके अतिरिक्त विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के सदस्यों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी तथा **उनको कार्यान्वित करने के लिए किए गए प्रयासों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है।** सरकार समितियों की सिफारिशों को काफी महत्व देती है और उन पर समुचित विचार करती है। यह हमारा अनुभव रहा है कि संसदीय समितियां सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने के अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

देश में लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि हम अपने विधानमंडलों की गरिमा और शुचिता को अक्षुण्ण बनाए रखें। जन इच्छा की सर्वोच्च प्रतीक इन संस्थाओं में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए हमें **अथक प्रयास**

करना होगा। सभी गण्यमान्य प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि विधानमंडल तभी अपने **दायित्वों** का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकते हैं जब सदन का कार्य सुचारु और व्यवस्थित रूप से संचालित हो। तथापि, कई मौकों पर, सदन की कार्यवाही व्यवधानों से बाधित होती है जिसके परिणामस्वरूप सभा में स्थगन होता है और सभा का बहुमूल्य समय **नष्ट** होता है। प्रायः प्रश्नकाल जो सरकार से प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है, इन व्यवधानों की भेंट चढ़ जाता है। इन व्यवधानों से न केवल हमारे विधानमंडल के कार्यकरण की निर्धारित प्रक्रिया अवरुद्ध होती है अपितु इससे माननीय सदस्यों और संसदीय लोकतंत्र के महान आदर्शों में लोगों की आस्था भी क्षीण होती है।

गणतंत्र दिवस 2015 की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उनके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि "एक सक्रिय विधायिका के बिना शासन संभव नहीं है। विधायिका जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। यह ऐसा मंच है जहां शिष्टतापूर्ण संवाद का उपयोग करते हुए, प्रगतिशील कानून के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सुपुर्दगी-तंत्र की रचना की जानी चाहिए। इसके लिए भागीदारों के बीच मतभेदों को दूर करने तथा बनाए जाने वाले कानूनों पर आम सहमति लाने की जरूरत होती है। "

आशय यह है कि विधान मंडलों के समय का सदुपयोग किया जाए। हम सबकी अपनी संसदीय राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी है और इस नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी राज व्यवस्था को इस प्रकार के व्यवधान से बचाएं तथा विधायी चैम्बरों के भीतर अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। दूसरी ओर, माननीय सदस्यों के लिए

अनिवार्य है कि उन्हें सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों, संसदीय परंपराओं और शिष्टाचार का ज्ञान हों और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे उनका पालन करें ताकि सभा की कार्यवाहियों में वे प्रभावी और सार्थक रूप से भाग ले सकें।

मित्रों, चूंकि जनता की संसद में भागीदारी लोकतांत्रिक प्रणाली का सुदृढ़ आधार है इसलिए यह अनिवार्य है कि विधानमंडल एवं चैम्बरों में किए गए कार्यों से नागरिकों को प्रभावशाली रूप से अवगत कराया जाए। आज की शासन-व्यवस्था के स्वरूप में आए व्यापक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार और प्रौद्योगिकीय प्रगति ने ऐसे नए प्रगतिशील युग का सूत्रपात किया है जहां सूचना ही सशक्तिकरण की कुंजी है। वर्तमान में अधिकाधिक रूप से पारदर्शी, जवाबदेह और लोककेन्द्रित शासन के साथ जागरूक नागरिकों के सृजन पर बल दिया जा रहा है। ऐसा होने के कारण शासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता को सक्रिय रूप से शामिल करना तथा मानव विकास का एक समावेशी मॉडल तैयार करना एक उपयोगी कदम होगा। इस संबंध में, हाल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने हमें ऐसे नए अवसर और माध्यम उपलब्ध कराए हैं जिनके जरिए विधानमंडल जनता के साथ फिर से जुड़ सकते हैं । जनता को हमारी संसद में सभाओं की कार्यवाहियों को देखने तथा अपने प्रतिनिधियों का प्रदर्शन स्वयं देखने में सक्षम बनाने के लिए हमारी संसद की दोनों सभाओं - लोक सभा और राज्य सभा ने अपने स्वतंत्र टी.वी. चैनल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभाओं की कार्यवाहियों को व्यापक कवरेज देने के लिए ये चैनल कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। सत्र के दौरान सभाओं की कार्यवाहियों का वेबसाइट पर भी प्रसारण किया जाता है। हमने आम जनता को इंटरनेट के जरिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होमपेज पर संसद की विभिन्न

गतिविधियों के बारे में व्यापक सूचना डाटाबेस भी उपलब्ध कराए हैं। हमने आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के वर्णन और प्रदर्शन के लिए अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित संसदीय संग्रहालय भी स्थापित किया है। बच्चों, विशेषकर समाज के सीमांत वर्गों के बच्चों को सुगम प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए तथा संसदीय ग्रंथालय के पास उपलब्ध विशाल संसाधनों का उपयोग करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए संसदीय ग्रंथालय में एक बाल कक्ष भी स्थापित किया गया है। हमारे संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए भी संसद की संबद्धता शिक्षा जगत के लोगों, नौकरशाही, मीडिया और विद्यार्थियों जैसे समाज के विभिन्न हितधारकों के साथ बढ़ती है। इस पहल तथा अन्य अनेक प्रयोगों ने संसद के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने तथा उन्हें देश का जागरूक नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन के दौरान हमारे दो पूर्ण सत्र भी होंगे जिसमें से पहला - **''विधायक और उनकी प्रतिनिधित्वकारी भूमिकाः विधानमंडलों के निर्बाध कार्यकरण की आवश्यकता''** और दूसरा विषय **''सुशासन के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों का इष्टतम उपयोग तथा लोक महत्व के मामलों को उनके औचित्यपूर्ण निष्कर्ष तक उठाना''** विषय पर पर होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि सुशासन के लिए शासन तंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह विधिपूर्वक प्रशासन का संचालन करें। महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासक के विषय में लिखा है -

“ तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः । तस्माद्धर्मात्परं नास्ति ।

अथो अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण । यथा राज्ञा एवम् ।”

तात्पर्य यह है कि कानून राजाओं का राजा है । कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। राजा की शक्ति कानून की शक्ति के साथ मिलकर ताकतवर व्यक्ति से कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करती है । इसलिए हमें न्यायपूर्वक विधि का पालन करते हुए विधान मंडलों में काम-काज संपादित करना चाहिए।

मुझे पूर्ण आशा है कि **उपर्युक्त दो सत्रों में होने वाली चर्चाएं गहन, विचारोत्तेजक और जनकेन्द्रित होंगी जिससे हमारे संसदीय लोकतंत्र के सुदृढीकरण में आगे चलकर हमें** बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी गण्यमान्य प्रतिनिधिओं एवं प्रतिभागियों को इन सत्रों में लाभदायी एवं सार्थक विचार-विमर्श के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांचवें भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का सहर्ष उद्घाटन करती हूं।

धन्यवाद।